न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू. अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा (जिला–शाहपुरा) राज0

पीठासीन अधिकारी : निरमा बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 26 / 2024
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2024 / 39

शिवराज पुत्र देबी लाल जाट निवासी मुण्डेती तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा

–प्रार्थी

बनाम

1– नारायण पिता मोती गुर्जर निवासी सुरजनगर(लुलास) तहसील शाहपुरा
2– कल्याण पुत्र मगना जाट निवासी धांगड़ो का खेड़ा मजरा लुलास
3– चारभुजानाथ स्थान देह पुजारी मूलदास पिता बिहारीदास वैष्णव निवासी लुलासा
4– दूदा पिता छोगा गुर्जर निवासी धांगड़ो का खेड़ा मजरा लुलास
5– छोटू पिता बरदा गुर्जर निवासी धांगड़ो का खेड़ा मजरा लुलास
6– उदा पिता लादु गुर्जर निवासी धांगड़ो का खेड़ा मजरा लुलास
7– गोपी पुत्र उदा गुर्जर निवासी धांगड़ो का खेड़ा मजरा लुलास

–विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू : **01-02-2024**

उपस्थित :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थी

::– निर्णय –::

दिनांक : **20-05-2024**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरूद्ध विपक्षीगण इस आशय का पेश किया कि **ग्राम रामपुरा प0ह0 लूलांस भू0अ0निरीक्षक लूलास तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है. किस्म बारानी ।। , 884 रकबा 0.080 है. किस्म गेमु. रास्ता , 885 रकबा 0.11 है. किस्म बारानी ।। , 886 रकबा 0.31 है0 किस्म बारानी ।। कुल किता 4 रकबा 0.89 है0** कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदार की स्थित है। **उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ौसी है जो आये दिन सीमा को लेकर विवाद करते है। प्रार्थी दिनांक 15.11.2023 को अपनी उक्त आराजियात पर गया तब विपक्षीगण ने प्रार्थी से उसकी आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद किया** इस प्रकार प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य कृषि भूमि की सीमा का विवाद है। इसलिए प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कर नापचौप कर पत्थरगढी कर करवाये जाने बाबत श्रीमानजी के समक्ष सादर पेश है। अतः **ग्राम रामपुरा प0ह0 लूलांस भू0अ0निरीक्षक लूलास तहसील शाहपुरा की उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि किता 4 रकबा 0.89 है0 की चारों सीमाओं की पुख्ता जानकारी करते हुए चारों सीमाओं पर पुख्ता निशानात पत्थर लगाये जाकर पत्थरगढी कराये जाने हेतु** न्यायहित में आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर किया गया। विपक्षीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सम्मन सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक **20-05-2024** को एकतरफा कार्यवाही की गयी।

आज दिनांक **20-05-2024** को बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई एवं पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया, **जमाबंदी संवत् 2075 से**

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा,जिला शाहपुरा (राज)

2078 ग्राम रामपुरा प0ह0 लूलांस भू0अ0निरीक्षक लूलास तहसील शाहपुरा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी **खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है. किस्म बारानी ।। , 884 रकबा 0.080 है. किस्म गेमु. रास्ता , 885 रकबा 0.11 है. किस्म बारानी ।। , 886 रकबा 0.31 है0 किस्म बारानी ।। कुल किता 4 रकबा 0.89 है0** का अभिलिखित खातेदार है। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि उसे अपनी खातेदारी आराजी की सीमाओं का ज्ञान हो, व इस हेतु सीमांकन करवा सके एवं सीमाओं का सीमाचिन्ह लगवा सके ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों का स्वतंत्रता से उपभोग एवं उपयोग कर सके। **विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं है।** अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **आंशिक स्वीकार** करते हुए **ग्राम रामपुरा प0ह0 लूलांस भू0अ0निरीक्षक लूलास तहसील शाहपुरा** में स्थित प्रार्थी की उक्त **खातेदारी** की आराजियात में से **आराजी नम्बर 884** की किस्म **गेमु. रास्ता** होने से उक्त आराजियात को छोड़कर शेष किता **3** रकबा **0.81 है. हैक्टेयर** का समयानुसार सीमाज्ञान करवाते हुए प्रार्थी के खर्चे पर प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी करवाने का निर्देश प्रदान करना विधिसंगत एवं उचित समझती हूँ।

—::आदेश::—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 भलिभाति साबित होने एवं सारवान होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है तहसीलदार, शाहपुरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि वे धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रार्थी की खातेदार आराजी **ग्राम रामपुरा प0ह0 लूलांस भू0अ0निरीक्षक लूलास तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है. किस्म बारानी ।। , 885 रकबा 0.11 है. किस्म बारानी ।। , 886 रकबा 0.31 है0 किस्म बारानी ।।** किता **3** रकबा **0.81 है. हैक्टेयर** एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर माप करवाते हुए सीमांकन करे तथा प्रार्थी की आराजी का प्रार्थी के व्यय पर मौके पर पत्थरगढी करवाए/वक्त कार्यवाही उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार, शाहपुरा को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक **20-05-2024** को सरे इजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा,जिला-भीलवाड़ा(राज.)

(निरमा बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :— तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला शाहपुरा

AnyScanner